

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कोर्ट केम्प उण्डखा

क्रमांक रीडर/2023/

प्रार्थीगण

30/0

बनाम

दिनांक -

30/05/23

अप्रार्थीगण

1 भूरसिंह पुत्र बीजराजसिंह 2 हरीसिंह
पुत्र टीलसिंह जाति राजपूत निवासी
उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

1 केशरसिंह 2 हुकमसिंह पिसरान बगतावरसिंह जाति
राजपूत 3 रूगाराम 4 धर्माराम 5 कैसाराम पिसरान
कौशलाराम 6 पीराराम पुत्र देवाराम 7 धीराराम 8
गोमाराम पिसरान पदमाराम जाति मेघवाल निवासी
उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 139/2021

दिनांक- 19.05.2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जोगनगर पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा
संख्या 95/69 रकबा 19.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने
से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

समदरसिंह भाटी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/

3011-14

दिनांक-

30/05/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भूरसिंह पुत्र बीजराजसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी केशरसिंह पुत्र बगतावरसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

समदरसिंह भाटी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर